



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

4 AASHWIN 1947 (S)

No. 450

RANCHI FRIDAY 26TH SEPTEMBER, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

26th September, 2025

Notification No.- 14/2025 – State Tax

S.O. No. 49, Dated 26th September, 2025:- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 54 of the of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Jharkhand Government on the recommendations of the Council, hereby notifies the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely :-

- (a) Any person, who has not undergone Aadhaar authentication under rule 10B of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017;
- (b) Any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below:

Table

S. No.	Chapter/Heading/ Sub-heading/ Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	Areca nuts
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
4.	3301	Essential oils

Explanation.-

(i) In this notification, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October, 2025.

[File. No. Va.Kar/GST/07/2016 (Part)]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar

Commissioner,

Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 14/2025- राज्य कर

एस. ओ. सं.49, दिनांक 26 सितम्बर, 2025:- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी अर्थात्:-

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 10 ख के अधीन आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है:

सारणी

क्र. सं.	अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्ष / टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरण.-

- (i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष- "शीर्ष", और से "अध्याय", सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम] 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद] शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है-;
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम] 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची] जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम] यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2025 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/07/2016 (खण्ड)]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग।
